वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। नकील वकील अप्रार्थी को दिलाई गई। वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का जवाब पेश किया जा चुका है। प्रकरण आज प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. की बहस हेतु नियत है। प्रकरण में वादी/प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में बहस 212 आर.टी.ए. नहीं करके प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी., 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17, 151 सी.पी.सी. का जवाब न देते हुए बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. एवं बहस प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. एक साथ सुने जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी/प्रार्थी द्वारा बहस सुने जाने बाबत सहमति जताई जाने पर बहस प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. एवं बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस यह रही कि वादी द्वारा एक वाद वाके चक 9 क्यू तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि के विभाजन के सम्बन्ध में पेश किया गया है एवम् साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पेश किया गया था। सहवन से प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया था। बल्कि रचना पत्नी कुलविन्द्रसिंह, पुत्री सुखमन्दर सिंह, शीतल पुत्री सुखमन्दर सिंह, जितेन्द्रसिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह प्रभावित पक्षकार होने के कारण प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र में औपचारिक पक्षकार राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा दौलतपुरा एवं स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीगंगागनर भू-स्वामी होने के कारण पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 151 सी.पी.सी.के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

वकील अप्रार्थी की मुख्य बहस प्रार्थना पत्र यह रही कि अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा न तो तामील करवाई गई है, भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है। स्थगन प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारा को संयोजित किया जा चुका हे। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में संयोजित पक्षकारों द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण बहस 212 आर.टीए. की स्टेज पर है। वकील उभय पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 151 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. समाहित की जा चुकी है। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. को स्वीकार किये जाने से प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होगा। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 151 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

29/09/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:36:00 IST
Reason: SelfAttested

बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. की बहस पर मनन किया। अस्थ निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हमें तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्ट मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपरिमेय क्षति पर विचारण करना होगा।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** – यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत आराज अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है एवं अप्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार हो। उक्त तथ्यो के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलन एवम् अपरिमेय क्षति** – सुविध की दृष्टि एव अभिवचनों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए इन दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के खातेदार हैं। प्रार्थी का प्रश्नगत आराजी में हक व हिस्सा है अथवा नहीं यह वाद के अन्तिम निर्णय में तय होगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अभिकथनों से साबित है कि जमीन पर कब्जा अप्रार्थीगण का है। प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रार्थी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो। अतः सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति भी अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवम् अपरिमेय क्षति क सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 21 राज. काश्त. अधि. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिंनाक 28.09.2022 को लिखवाया जाकर खु न्यायालय में सुनाया गया।

29/09/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:36:00 IST
Reason: SelfAttested